(09) संवैधानिक उपचार (Constitutional Remedies)

भारतीय संविधान में स्त्रियों के विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की है तथा उनकी समता के लिए अनेक धारायें तथा अनुच्छेदों का निर्धारण किया गया है तथा संविधान में स्त्री-पुरुष में कोई भेद-भाव नहीं किया गया है।

मौलिक अधिकार पुरुषों के लिए जितने हैं उतना ही बालिकाओं को भी प्राप्त है, और महिलाओं की पिछड़ी स्थिति को देखते हुए इनके लिए विशेष प्रयास किये जाने के उपबन्ध भी किये गये हैं।

महिलाओं की सुरक्षा हेतु विशेष प्रावधान बनाये गये हैं तथा सजा और जुर्माने का प्रावधान किया गया है।

भारतीय संविधान अपने सभी नागरिकों के गरिमामयी जीवन की प्रतिबद्धता बताता है, जिसमे महिलायें सम्मिलित हैं। इस प्रकार संवैधानिक उपचार तो बहुत किये गये हैं, लेकिन उन उपचारों के विषय में जितनी जागरूकता होनी चाहिए वह नहीं है। इसप्रकार (अतः) इन प्रावधानों के विषय में जागरूकता फैलाकर लैंगिक भेदभाव को कम किया जा सकता है।

Important Calls ✓ Things to Do ✓ Meetings

अन्य उपाय —

महिलाओं की बराबरी हेतु राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक उपाय किये जा रहे हैं। मानव अधिकारों के चार्टर की धारा 55 में कहा गया है कि संयुक्त राष्ट्र जाति, लिंग, भाषा या धर्म के भेदभाव के बिना सभी के लिए मानव अधिकार और मौलिक स्वतंत्रताओं के प्रति विश्वव्यापी अनुपालन और सम्मान को बढ़ावा देना।

10 दिसम्बर को सम्पूर्ण विश्व में मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। जिसमें लिंगीय भेदभावों को समाप्त करने के कार्य पर भी बल दिया जा रहा है। धारा 16 के द्वारा पुरुषों की भाँति स्त्रियों को भी विवाह करने या न करने तथा जाति, धर्म और राष्ट्रीयता के बन्धन से रहित होकर पारिवारिक जीवन व्यतीत कर सकने का अधिकार है।

1975 को अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष घोषित किया गया तथा स्त्रियों की समानता, संघटन और विश्व शांति में उनकी भूमिका के सम्मान की बात प्रबलता से रखी गयी।

सितम्बर 1995 में चीन के बिजिंग नामक नगर में चौथा विश्व सम्मेलन आयोजित किया गया।

(U.N. Declaration of Human Rights) की धारा 2K में उल्लेखित है कि प्रत्येक व्यक्ति इस घोषणा में उद्धृत मूल अधिकारों तथा स्वतन्त्रता का हकदार है। इसलिए उसे जाति, भाषा, धर्म रंग, लिंग, राजनीति मतों द्वारा अलग नहीं

Important Calls Things to Do Meetings

किया जा सकता है।

Conclusion (निष्कर्ष)

स्वतन्त्र भारत में लिंगीय विभेदों को पाटने तथा इन खाइयों को भरने की दिशा में तमाम प्रकार के कार्य किये जा रहे हैं, परन्तु जमीनी कार्यों की आवश्यकता अत्यधिक है। दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002-2007) में लिंग तथा सामाजिक खाइयों को भरने हेतु सारगर्भित सुझाव दिये गये हैं। आयोगों तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीतियों में भी लैंगिक विभेद को समाप्त करने में शिक्षा को महत्वपूर्ण माना गया है। महिला समाख्या कस्तूरबा गाँधी विद्यालय महिलाओं से सम्बन्धित कानून, विवाह की आयु का निर्धारण कन्या धन योजना साइकिल वितरण पढ़ाई हेतु छात्रावास की व्यवस्था। बालिका होने पर प्रोत्साहन राशि महिला लोन में ब्याज दर की कमी इत्यादि इन सभी प्रयासों के साथ-साथ लैंगिक भेदभाव में कमी तभी हो सकती है। जब समाज का महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण बदले और सभी क्षेत्रों में वे घर से जब बाहर निकलें तो बाहर की सुरक्षात्मक वातावरण का सृजन हो तभी इसका समाधान हो सकता है।

Important Calls | Things to Do | Meetings

चुनौतीपूर्ण लिंग की असमानता से तात्पर्य (Meaning of challenging gender Inequality)

चुनौतीपूर्ण लिंग की असमानता से मतलब कि- चुनौतीपूर्ण के लिए अंग्रेजी में Challenging शब्द प्रयुक्त किया जाता है। चुनौती शब्द का प्रयोग शिक्षा, अध्ययन, कार्यशील, व्यापार, समाज इत्यादि क्षेत्रों के लिए किया जाता है।

यह शब्द यह दर्शाता है कि जिस क्षेत्र विशेष के साथ यह प्रयुक्त किया जा रहा है उसका मार्ग सीधा-सपाट न होकर तमाम बाधाओं और परेशानियों से परिपूर्ण है।

चुनौतीपूर्ण लिंग की असमानता का अर्थ

ईश्वर की प्रकृति वैविध्यतापूर्ण है चाहे वह मनुष्य का रूप रंग हो, चाहे पक्षियों का कलरव हो, चाहे प्रकृति हो, पुष्पों की सुगन्धि और रूप हो, ऋतुयें हों या स्थल हो। यह वैविध्यता ही मनुष्य के जीवन को सुचारु रूप से जीवन चलाने क्रियाकलापों को सम्पन्न करने में सहायक है। मनुष्य इस वैविध्यता के बीच सर्वाधिक तीव्रता से अनुकूलन स्थापित ही नहीं करता, बल्कि कुछ को अपने अनुकूल बना भी लेता है। इसी कारण

Important Calls | Things to Do | Meetings

वह बुद्धिमान है और वह अपने से बलयुक्त जीवों पर भी शासन करता है। Male – Female दोनों gender में सारे मनुष्य बटे हैं और तीसरा लिंग इन दोनों के सम्मिश्रण से ही है।

9.00
10.00
11.00

महिला एवं पुरुष एक-दूसरे के बिना अधूरे हैं। Both are incomplete without each other

12.00

चुनौतीपूर्ण लिंग की असमानता की शिक्षा तथा परिवार

1.00

Education of challenging gender Inequality and family

2.00
3.00

चुनौतीपूर्ण लिंग की असमानता की शिक्षा में परिवार की भूमिका महत्वपूर्ण है। परिवार की भूमिका आज से नहीं अपितु प्राचीन काल से ही बालकों में संराहनीय रही है। परिवार में ही बालक अपने जीवन का प्रथम अध्याय सीखता है परिवार अपनी संरचना के आधार पर निम्न प्रकार के होते हैं।

4.00
5.00
6.00
7.00

(1) परिवार (Family)

Two Types of family

Important Calls ✓ | Things to Do ✓ | Meetings ✓

M	T	W	T	F	S	S
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

AUG '19

July 2019 11 Thursday Wk 28. 192-173

परिवार अपनी संरचना के आधार पर निम्न प्रकार के होते हैं।

1. संयुक्त परिवार - (Joint Family)
2. एकांकी परिवार (Single Family)

परिवार का शाब्दिक अर्थ

'परिवार' अंग्रेजी शब्द Family का हिन्दी रूपांतरण है। Family शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द "Famulus" से हुयी है। Famulus एक समूह के लिए प्रयुक्त होता है। जिसमें माता-पिता, बच्चे आदि शामिल होते हैं। परिवार सभी समाज और संस्कृतियों में पाया जाता है। परिवार का आधार सहयोग, प्रेम, त्याग, श्रद्धा आदि है। परिवार के सभी सदस्य भावनात्मक आधार पर एक दूसरे से संबंधित होते हैं। परिवार प्राथमिक एवं महत्वपूर्ण संस्था है जिसमें व्यक्ति का समाजीकरण होता है।

परिवार का परिभाषा (Definition of Family)

Sociologists - समाजशास्त्रियों के अनुसार -

परिवार में पति-पत्नि और बच्चों का होना अनिवार्य होता है। अगर इन सभी

Important Calls ✓ | Things to Do ✓ | Meetings ✓

M	T	W	T	F	S	S
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

JUL '19

में से किसी एक का भी अभाव हो तो वह परिवार परिवार ना होकर गृहस्थ का रूप ले लेता है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि — "सभी परिवार की गृहस्थ तो होते हैं लेकिन सभी गृहस्थ परिवार नहीं होते हैं"।

मैकाइवर तथा पेज के अनुसार —

"परिवार एक ऐसा समूह है जो पर्याप्त रूप से लैंगिक सम्बन्ध पर आधारित होता है तथा जो इतना स्थायी होता है कि इसके द्वारा बालकों के जन्म तथा पालन-पोषण की व्यवस्था हो जाती है।"

'The family is a group defined by sex relationship sufficiently precise and enduring to provide for the procreation and upbringing of children'. By Maciver & Page

क्लेयर के अनुसार => परिवार से हम सम्बन्ध की वह व्यवस्था

Important Calls ✓ | Things to Do ✓ | Meetings ✓